2013/0026

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 240 / 2013

उनवान

रामकरण पिता जगन्नाथ जाति धाकड निवासी ग्राम श्योपुरा
तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. बाबूलाल आत्मज सुरजमल महाजन निवासी नीमसरा
2. महेन्द्र कुमार पुत्र हजारीलाल जाति महाजन नि0 नीमसरा
3. विनोद कुमार पुत्र हजारीलाल जाति महाजन नि0 नीमसरा
4. चेतनकुमार पुत्र हजारीलाल जाति महाजन नि0 नीमसरा
5. सुमित्रा बाई पुत्री हजारीलाल जाति महाजन नि0 नीमसरा
6. प्रेमबाई पत्नी हजारीलाल जाति महाजन नि0 नीमसरा
7. रामगोपाल पुत्र रामकरण जाति धाकड नि0 श्योपुरा
8. जगन्नाथी बाई पत्नी बिहारीलाल जाति धाकड नि0 नीमसरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
9. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

(रेस्पोडेण्टस)

उपस्थित :– 1. श्री रमाकान्त लोहिया (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री रघुवीर सिंह राठोर (अभिभाषक रेस्पो0 1 से 6 व 8)

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 29.01.2013 न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा
जिला कोटा अन्तर्गत धारा 53 (2) (1) राज0 टी0 एक्ट
अन्तर्गत धारा 225 राज0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक : 08.01.2020

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा के आदेश दिनांक 29.01.2013 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी मे ग्राम नीमसरा तहसील पीपल्दा के माल मे आराजी ख0 नं0 173 रकबा 0.33 है0, 174 की 0.36 है0, 179 की 0.15 है0, 180 की 0.02 है0, 181 की 0.15 है0, 346 की 0.42 है0, 347 की 0.59 है0, 348 की 0.73 है0, 349 की 2.04 है0, 350 की 1.50 है0, 367 की 1.29 है0 कुल 7.58 हैक्टर आराजी स्थित है , जिसमे अपीलांट का 1/3 हिस्सा यानि 2.53 हैक्टर दर्ज है एवं रेस्पो0 क्रम 1 ता 6 का 1/3 हिस्सा एवं रेस्पो0 नं0 7 व 8 का 1/3 हिस्सा दर्ज है । रेस्पो0 ने अपीलान्ट को बिना बताये बंटवारे के सहमति पत्र के धोखे मे रखकर दस्तखत करवा लिये और यह बताया कि सभी को बराबर बराबर जमीन मिलेगी, इस विश्वास पर आकर बंटवारा नामा पर दस्तखत कर दिये । अपीलान्ट पढा लिखा नही है, अनपढ है, उसे बंटवारानामा पढकर भी नही सुनाया । दिनांक 30.04.2013 को पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त बंटवारा नामा मे अपीलांट को 0.50 है0 आराजी कम मिली है, जबकि न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार धारा 53 राज0 टी0 एक्ट के प्रावधानों के अनुसार मिटस एण्ड बाउन्स के आधार पर बराबर बराबर आराजी मिलनी चाहिए थी । उक्त बंटवारानाम दि0 29.01.2013 पेश

होने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा को संयुक्त आराजी बराबर बराबर हिस्से अनुसार बंटवारा करना चाहिए था, परन्तु उन्होने ऐसा न करके अपीलांट के हिस्से की आराजी 0.50 है0 रेस्पो0 क्रम 1 लगायत 8 के खातेदारी मे दर्ज कर दी । साथ मे अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर तथ्य अंकित किये कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दि0 29.01.2013 की अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी दि0 25.04.2013 को पटवारी हल्का द्वारा बताये जाने पर हुई जिस पर उसे नकल दिनांक 30.04.2013 को प्राप्त हुई । न्यायहित मे दिनांक 29.01.2013 से 30.04.2013 तक का समय मियाद मे कन्डोन करते हुए अपील अवधि मध्य स्वीकार की जावे एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.01.2013 एंव बंटवारानामा दि0 29.01.2013 निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

2. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट न0 1 से 6 व 8 की ओर से श्री रघुवीर सिंह राठोर एड0 द्वारा वकालत नामा पेश किया गया ।

3. उपस्थित विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस मे अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि रेस्पो0 ने अपीलान्ट को बिना बताये बंटवारे के सहमति पत्र के धोखे मे रखकर दस्तखत करवा लिये और यह बताया कि सभी को बराबर बराबर जमीन मिलेगी, इस विश्वास पर आकर बंटवारा नामा पर दस्तखत कर दिये । अपीलान्ट पढा लिखा नही है, अनपढ है, उसे बंटवारानामा पढकर भी नही सुनाया । दिनांक 30.04.2013 को पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त बंटवारा नामा मे अपीलांट को 0.50 है0 आराजी कम मिली है, जबकि न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के अनुसार धारा 53 राज0 टी0 एक्ट के प्रावधानों के अनुसार मिटस एण्ड बाउन्स के आधार पर बराबर बराकर आराजी मिलनी चाहिए थी । अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.01.2013 एंव बंटवारानामा दि0 29.01.2013 निरस्त करने का निवेदन किया गया ।अपीलान्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2012 (I) 661 पेश की गयी ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलान्ट व रेस्पो0 द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा किया था । जिस पर तहसीलदार पीपल्दा द्वारा मुताबिक बंटवारा नामा दिनांक 29.01.2013 से वादग्रस्त आराजी का समस्त सह–खातेदारों के पृथक पृथक खाता कायम किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जाने के आदेश प्रदान किये गये है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नियमानुसार होने से अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया गया ।

6. पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया सर्व प्रथम अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट मे देरी से अपील प्रस्तुत करने के जो कारण उल्लेखित किये है वे सन्तोष जनक होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट स्वीकार की जाकर विलम्ब की अवधि क्षम्य योग्य होने से न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए डिले अवधि कन्डोन करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि समस्त सहखातेदारों द्वारा राज0 टी0 एक्ट की धारा 53 (2) (1) के तहत भूमि का आपस मे बंटवारे हेतु आवेदन तहसीलदार पीपल्दा को पेश करने पर उसी अनुसार बंटवारा किया गया । उक्त आवेदन पर अपीलांट द्वारा भी हस्ताक्षर किए गये है । अतः अपीलांट का कथन कि उस पर धोखे से उसके हस्ताक्षर करवा लिए गये मान्य नही है । न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी 2012 (1) पेज 661 इस प्रकरण पर चस्पा नही होता । क्योकि उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा बंटवारे से पहले पक्षकारों

के मध्य हुई सहमति स्वतंत्र सहमति नही मानी गयी है । वर्तमान प्रकरण मे चूंकि पक्षकारों के मध्य हुई सहमति से बंटवारा हुआ है । अतः उनके मध्य हुई सहमति मे किसी प्रकार का कोई संदेह नही है । अतः अपीलाधीन आदेश मे किसी प्रकार की त्रुटि होना नही पायी जाती है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

मुद्रा